सत्यमेव जयते
भारत सरकार
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

GOVERNMENT OF INDIA

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

File No. Tour Programme/3/VC/2018/RU-III

6th floor, B Wing Loknayak Bhawan,
Khan Market,
New Delhi-110003

Dated: 09th March, 2018

To,

1. प्रमुख सचिव,
   जनजातीय विकास विभाग,
   मध्य प्रदेश शासन,
   भोपाल (मध्य प्रदेश)

2. जिला कलेक्टर,
   जिला छिंदवाड़ा,
   (मध्य प्रदेश)

विषयः सुश्री अनुसुईया उईके, माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली से आयोग के दल के दिनांक 02–02–2018 से 05–02–2018 तक मध्य प्रदेश राज्य के छिंदवाड़ा जिले का दौरा।

महोदय / महोदया,

कृपया उपरोक्त विषय पर कथन है कि सुश्री अनुसुईया उईके, माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली के दिनांक 02–02–2018 से 05–02–2018 तक मध्य प्रदेश राज्य के छिंदवाड़ा जिले के दौरे की रिपोर्ट प्रति संलग्न करते हुये अनुरोध है कि प्रवास रिपोर्ट पर आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें एवं कार्रवाई रिपोर्ट एक महीने के भीतर भिजवाने का कृपा करें।

भवदीय,

(आर के दुबे)
सहायक निदेशक

Copy for information and necessary action to:

1. NIC, NCST uploaded on the web site.

Tel.:011-24657271, 011-24615012, 011-24624714, Fax: 011-24604689, 011-24624191

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत सरकार

प्रवास - प्रतिवेदन

-:: DATED 02/02/2018 TO 05/02/2018 { DISTRICT CHHINDWARA (MP) } ::-

1. दौरा करने वाले पदाधिकारियों के नाम	**सुश्री अनुसुईया उइके** **उपाध्यक्ष** राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भारत सरकार **श्री जितेन्द्र कुमार सोलंकी** उपाध्यक्ष के सहायक निज सचिव राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत सरकार
2. दौरा की तिथि, दिन, दिनॉक, वर्ष	**दिनॉक 02 फरवरी 2018** **से** **05 फरवरी 2018 तक**
3. दौरा किये गये स्थान	**जिला छिन्दवाडा (मध्य प्रदेश)**
4. मुख्य व्यक्ति / अधिकारीगण संगठनों से मिले	**निम्नानुसार**

1)	श्रीमती उर्मिला भारती, अध्यक्ष भारिया विकास अभिकरण तामिया जिला छिन्दवाडा
2)	श्री शिवपाल ठाकुर जनप्रतिनिधि तामिया
3)	श्री सुन्दर साहू, जन प्रतिनिधि, तामिया
4)	श्री बालकदास चौहान जनप्रतिनिधि, झिरपा तामिया
5)	श्री राजकुमार भारती, तामिया
6)	श्री विनोद अग्रवाल, तामिया
7)	श्री दुर्गेश सल्लामे तामिया
8)	श्री कामरान पटेल सरपंच सावरवानी तामिया
9)	श्री सचिन तामिया
10)	श्री अशोक भारती जुन्नारदेव
11)	श्री रामकिशोर भारती माली जुन्नारदेव
12)	श्री सुहागीलाल भारती जुन्नारदेव
13)	श्री संतोष भारती परासिया
अधिकारीगण	
14)	श्रीमती शिल्पा जैन, सहायक आयुक्त, जनजाति कल्याण विभाग छिन्दवाडा
15)	श्री अनुराग मोदी, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत छिन्दवाडा
16)	श्री कमलेश राज तहसीलदार, तामिया जिला छिन्दवाडा
17)	श्रीमती कला उइके विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी तामिया
18)	श्री बी.आर. उइके अनुविभागीय अधिकारी लोक स्वास्थ्य यॉत्रिकी विभाग तामिया
19)	श्री जे आर उइके, अनुविभागीय अधिकारी वन।
20)	श्री यादव कनिष्ठ यंत्री मध्यप्रदेश विद्युत मंडल तामिया
21)	श्री जितेन्द्र सिंह छोकर, श्रोत समन्वयक अधिकारी जनपद शिक्षा केन्द्र तामिया
22)	श्री आर एस परिहार, सहायक परियोजना अधिकारी तामिया
23)	डा एम के मौर्य सहायक संचालक पशु चिकित्सा सेवाएँ छिन्दवाडा
24)	श्री सी एल अहिरवार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत जुन्नारदेव
25)	श्री एस आर अहिरवार विकास विस्तार अधिकारी उद्यानिकी विभाग छिन्दवाडा

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India

26)	श्री एस के मोहबे वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी तामिया
27)	श्री एन एस बागेश्वर, एसडीईओ हर्रई
28)	श्री जी पी सोनी जनपद पंचायत अमरवाडा
29)	श्री एस पी पाल वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी तामिया
30)	श्री आर के कनौजिया मंडल संयोजक तामिया
31)	

5. दौरा के मुख्य बिन्दु

A. विश्राम भवन तामिया में आम नागरिकों एवं जनजाति प्रतिनिधियों से भेंट।

B. एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना तामिया एवं भारिया विकास अभिकरण तामिया की समीक्षा बैठक।

दिनॉक 02 फरवरी 2018

दिल्ली से रात्रि में 9–30 बजे नागपुर आगमन एवं छिन्दवाड़ा के लिये प्रस्थान। छिन्दवाडा में . आगमन एवं रात्रि विश्राम।

दिनॉक 03 फरवरी 2018

1. छिन्दवाडा से प्रस्थान कर तामिया आगमन निर्धारित समय पर समीक्षा बैठक में भाग लिया गया।

2. मेरे द्वारा सर्वप्रथम अधिकारियों एवं उपस्थितों को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की कार्य–प्रणाली, आयोग के अधिकार, आयोग द्वारा किये जाने वाले कार्य, जन–जातियों को प्राप्त संवैधानिक प्रावधानों, उनकी रक्षा के लिये लागू कानून, इत्यादि से अवगत कराते हुए, जनजाति जनों के प्रकरणों तथा समस्याओं का निराकरण तत्परता से शीघ्र करने की अपील की गई।

3. सहायक आयुक्त, जनजाति कार्य विभाग एवं प्रभारी अधिकारी परियोजना द्वारा निर्धारित प्रपत्र में योजनाओं की प्रगति प्रस्तुत की गई।

4.

(एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना एवं भारिया विकास अभिकरण की प्रगति की समीक्षा करते हुए सुश्री अनुसुईया उइके जी उपाध्यक्ष, रा.अ.ज.जा.आ. एवं अन्य अतिथि व अधिकारीगण)

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

परियोजना का नामः— परियोजना प्रशासक, एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना तामिया जिला छिन्दवाडा									
वर्ष 2009—2010 से 2015—2016 तक उपलब्ध कराये गये प्राप्त आवंटन के विरूद्व मदवार ,व्यय एवं भौतिक उपलब्धियों की जानकारी दिनांक 31.01.2018									
वर्ष	मद का नाम	प्राप्त आवंटन	कुल व्यय	बचत राशि	व्यय का प्रति.	लक्ष्य	उपल ब्धि	अपूर्ण कार्य	रिमांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
	परियोजना तामिया	दिनांक 31.01.2018 तक की प्रगति							
2010.11	विशेष केन्द्रीय सहायता राजस्व	547.61	547.61	0.00	100	2738	2738		
2010.11	विशेष केन्द्रीय सहायता पूंजीगत मद	142.59	142.59	0.00	100	15 कार्य	15 कार्य		
2010.11	संविधान के अनुच्छेद 275(1)	331.37	331-37	0-00	100	27 कार्य	27 कार्य		
	योगः—	**1021.57**	**1021.57**	**0-00**	100	2738	2738		
2011.12	विशेष केन्द्रीय सहायता राजस्व	477.50	477.50	0.00	100	2387	2387		
2011.12	विशेष केन्द्रीय सहायता पूंजीगत	163.92	163.92	0.00	100	33	33		
2011.12	संविधान के अनुच्छेद 275(1)	348.45	348.45	0.00	100	56 कार्य	56		
	योगः—	**989.87**	**989.87**	**0.00**	100				
2012.13	विशेष केन्द्रीय सहायता राजस्व	447.09	447.09	0.00	100	2236	2236		
2012.13	विशेष केन्द्रीय सहायता पूंजीगत मद	76.72	76.72	0.00	100	13 कार्य	13 कार्य		
2012.13	संविधान के अनुच्छेद 275(1)	452.29	452.29	0.00	100	96 कार्य	96 कार्य		
	योगः—	**976.10**	**976.10**	**0.00**	100				
2013—14	विशेष केन्द्रीय सहायता राजस्व	393.60	393.60	0.00	100	1968	1968		
2013—14	विशेष केन्द्रीय सहायता पूंजीगत मद	130.92	129.71	1.21	98	34 कार्य	33 कार्य	1 कार्य	लोक स्वा.यां. 1.21 लाख
2013—14	संविधान के अनुच्छेद 275(1)	458.10	454.14	3.96	99	120 कार्य	116 कार्य	04 कार्य	जनपद मोहखेड 3.96 लाख
	योगः—	**982.62**	**977.45**	**5.17**	99				
2014.15	विशेष केन्द्रीय सहायता राजस्व	193.10	193.10	0.00	100	644	644		
2014.15	विशेष केन्द्रीय सहायता पूंजीगत मद	53.46	53.46	0.00	100	9 कार्य	9 कार्य	कार्य	
2014.15	संविधान के अनुच्छेद 275(1)204.62 42.72 कुल247 34 लाख दिनांक 22.7.2016 को प्राप्त	247.34	225.32	22.02	90	40 कार्य	32कार्य	08 कार्य	जनपद तामिया 13.53लाख, जनपद अमरवाडा 5.39 लाख, जनपद मोहखेड राशि 4.10 लाख,
	योगः—	**493.90**	**471.88**	**22.02**	88				
2015.16	विशेष केन्द्रीय सहायता राजस्व	101.40	0.00	101.40	0	338	0		समर्पित
2015.16	संविधान के अनुच्छेद 275(1)	82.84	62.50	22.34	80	12 कार्य	02कार्य	09कार्य	
	योगः—	**184.24**	62.50	**123.74**	0				
	कुलयोगः—	**4648.30**	**4462.37**	**167.92**	94				

माडा पाकेट क्षेत्र लहगडुआ जिला—छिन्दवावाडा									
वर्ष	मद का नाम	प्राप्त आवंटन	कुल व्यय	बचत राशि	व्यय का प्रति.	लक्ष्य	उपलब्धि		रिमांक
1	2	3	4	5	6	7	8		9
	माडा पाकेट क्षेत्र लहगडुआ	दिनांक 31.01.2018 तक की प्रगति							
2011.12	विशेष केन्द्रीय सहायता राजस्व मद	17.87	17.87	0.00	100	89 हित0	89 हित0		
2011.12	विशेष केन्द्रीय सहायता पूंजीगत	10.44	10.44	0.00	100	2 कार्य	2 कार्य		
2011.12	संविधान के अनुच्छेद 275(1)	14.97	14.97	0.00	100	3 कार्य	3 कार्य		
	योगः—	**43.28**	**43.28**	**0.00**	100				
2012.13	विशेष केन्द्रीय सहायता राजस्व मद	22.96	22.96	0.00	100	115	115		
2012.13	विशेष केन्द्रीय सहायता प्रोत्साहन पूंजीगत मद	0.34	0.34	0.00	100	1 हित0	1 हित0		
2012.13	संविधान के अनुच्छेद 275(1)	18.29	18.29	0.00	100	04 कार्य	04 कार्य		
	कुलयोगः—	**41.59**	**41.59**	**0.00**	100				
2013—14	विशेष केन्द्रीय सहायता राजस्व	13.80	13.80	0.00	100	69	69		
2013—14	विशेष केन्द्रीय सहायता पूंजीगत मद	5.83	5.83	0.00	100	1 कार्य	01 कार्य		
2013—14	संविधान के अनुच्छेद 275(1)	18.940	18.940	0.000	100	4 कार्य	4 कार्य		
	योगः—	**38.57**	**38.57**	**0.000**	100				
2014—15	विशेष केन्द्रीय सहायता राजस्व	3.71	3.71	0.00	100	12	10	2	
2014—15	विशेष केन्द्रीय सहायता पूंजीगत मद	2.00	1.00	1.00	50	1 कार्य		1 कार्य	जनपद मोहखेड 1.00 लाख
2014—15	संविधान के अनुच्छेद 275(1) 8.94+१.८७ =१०.८१ लाख	10.81	5.00	5.81	0	2 कार्य		1 कार्य	मुख्यकार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत छिन्दवाडा राशि 5.00 लाख
	योगः—	**16.52**	**9.71**	**6.810**	59				
2015.16	विशेष केन्द्रीय सहायता राजस्व	6.00	0.00	6.00	0	20	0		समर्पित
2015.16	संविधान के अनुच्छेद 275(1)	9.50	9.50	0.00	100	1 कार्य	01कार्य		
	योगः—	**15.50**	**9.50**	**6.000**	61				
	महायोगः—	**155.46**	**142.65**	**12.00**	92				
	कुलमहायोगः—	**4803.76**	**4605.02**	**179.92**	96				

5. उपलब्ध कराई गई जानकारी के अवलोकन एवं समीक्षा से निम्नानुसार तथ्य स्पष्ट हुए समीक्षा उपरांत संबंधित विभागों को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।

बिन्दुवार तथ्य एवं उनपर हुई चर्चा तथा निर्णय, कार्यवाही के निर्देश

A. एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना तामिया एवं भारिया विकास अभिकरण में कोई भी परियोजना अधिकारी पदस्थ नहीं हैं।

B. परियोजनाओं में गत दो वर्षो से आवंटन प्राप्त नहीं हो रहा है जिसकी वजह से जनजातियों के कल्याण के लिये कोई योजना संचालित नहीं हो पा रही हैं।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

C. वर्ष 2017–18 एवं 2016–17 का आवंटन प्राप्त नहीं हुआ है। अब नवीन व्यवस्था के अंतर्गत राशि सीधे संबंधित विभागों को दी जा रही है जिसकी वजह से जनजाति विभाग या अभिकरण या परियोजना में उसकी कोई मानिटरिंग या योजना तैयार नहीं की जा रही है।

D. सहायक आयुक्त जनजाति विकास को आवंटन, स्वीकृत योजना, कार्य इत्यादि की भी सूचना नहीं मिल रही है जबकि यह उन्हें प्राप्त होना चाहिए ताकि उसकी मानिटरिंग हो सके।

E. सहायक आयुक्त को निर्देशित किया गया कि सभी विभाग को प्राप्त राशि एवं स्वीकृत योजनाओं की जानकारी मंगाई जावे।

F. प्रस्तुत जानकारी की समीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2012 से स्वीकृत कार्यो के उपयोगिता प्रमाणपत्र कियान्वयन एजेन्सियों द्वारा भेजे नहीं गये हैं जो कि उपयुक्त नहीं है। निर्देशित किया गया कि कलेक्टर के माध्यम से सभी को नोटिस जारी कर उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित समयावधि में मंगाई जाए।

G. समीक्षा में यह भी पाया गया कि छोटे छोटे कार्य जो कि मात्र 5–7 लाख रूपये तक के हैं उनको पूर्ण करने में चार से पॉच वर्ष तक का समय निर्माण एजेन्सियों द्वारा लगाया जा रहा है जो कि कदापि उपयुक्त नहीं है। इससे लागत के साथ ही साथ उपयोगिता पर भी प्रभाव पडता है। निर्देशित किया गया कि सभी कार्य निर्धारित समयावधि में आवश्यक रूप से पूर्ण कराए जावे। जो एजेन्सी समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं करती है उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

H. योजना से निर्मित कराए गए सभी स्टापडेमों की उपयोगिता एवं भौतिक सत्यापन कराया जावे।

I. आयोग से विगत समय भेजे गये पत्रों पर तत्काल कार्यवाही की जावे और जो निर्माण कार्य के प्रस्ताव दिये गये हैं उन्हें भी योजनाओं में प्राथमिकता से शामिल किया जावे।

J. जोगी मुआर में नवीन हाईस्कूल प्रारंभ कराने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ। आवश्यकता एवं उपयोगिता को देखते हुए संबंधित विभाग प्रस्ताव तैयार कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

K. झिरपा शाला में चारदीवारी का निर्माण कराने के लिये प्रस्ताव तैयार कर समुचित कार्यवाही की जावे।

L. झिरपा विद्यालय में छात्र छात्राओं की संख्या अधिक लगभग 80 तक हो गई है जो कि कक्ष मैं बैठने और अध्ययन की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। सुझाव आया कि सेक्शन बना दिये जावें। सहायक आयुक्त को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।

M. ज्ञात हुआ कि वनाधिकार अधिनियम के अंतर्गत वन विभाग प्रतिवेदन शीघ्र नहीं भेज रहा है संबंधित अधिकारी को इस संबंध में प्रतिवेदन शीघ्र भेजने के निर्देश दिये गये।

N. तामिया में पूर्व में बेडमिन्टन कोर्ट निर्मित कराया गया था जिसका फर्श नहीं है। इस भवन को निर्माण कार्य किस विभाग द्वारा किस मद से किया गया था इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई। सहायक आयुक्त को निर्देशित किया गया कि इस संबंध में

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

जानकारी ज्ञात कर फर्श निर्माण का प्रस्ताव तैयार कर खेल युवक कल्याण अथवा विधायक / सांसद निधि से राशि प्राप्त करने या विभागीय मद में इसे शामिल कर पूर्ण कराया जावे। O. तामिया एवं जुन्नारदेव के क्षेत्रों में रहने वाले मवासी जनजाति के व्यक्ति भी अति पिछड़े हैं किन्तु उनके विकास के लिये भारिया के समान कोई एजेन्सी नहीं है। उपयुक्त होगा कि संबंधित विभाग इस संबंध में सम्पूर्ण जानकारी के साथ विकास का प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करें। P. अवगत कराया गया कि जनजाति बाहुल्य क्षेत्र से पीएचई, कृषि, सिंचाई विभाग के मुख्यालय हटा दिये गये है जबकि इसकी आवश्यकता है। संबंधित विभाग इस संबंध में उपयुक्त कार्यवाही सुनिश्चित करें। Q. सभी योजनाओं के लाभान्वितों के नाम पते सहित सूची अध्यक्ष भारिया विकास अभिकरण को उपलब्ध कराऍं। R. निर्देशित किया गया कि जनजातियों के आर्थिक स्तर को उपर उठाने, रोजगार उपलब्ध कराने के लिये उनसे तथा उनके परिवेश से संबंधित उद्योग, व्यवसाय, गतिविधियों के प्रस्ताव बनाऍं। जिसमें पशु चिकित्सा विभाग द्वारा सुझाव दिया गया कि कडकनाथ मुर्गा पालन की योजना उपयुक्त हो सकती है। इस योजना का प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। S. साउन ग्राम में पेयजल की समस्या हैं संबंधित पीएचई विभाग एवं जनपद पंचायत इस ओर ध्यान देकर समस्या को निराकृत करें। T. पूर्व में सांसद निधि से चिकित्सालय में वाहन उपलब्ध कराया गया था जो कि इस समय बंद बड़ा है उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। संबंधित विभाग जिसमें अधिपत्य में उक्त वाहन है वह तत्काल वाहन का संचालन करें। तहसील तामिया को इस संबंधित कार्यवाही सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये गये। U. घोघरीढाना में जलाशय निर्माण कराने का जनप्रतिनिधियों ने सुझाव दिया। संबंधित विभाग प्रस्ताव का परीक्षण करें एवं आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

दिनॉक 04 एवं 5 फरवरी 2018

शासकीय अवकाश एवं दिनॉक 5 फरवरी 2018 को छिन्दवाडा से प्रस्थान कर नागपुर से नई दिल्ली के प्रस्थान, प्रवास सम्पन्न।

6.	अनुवर्ती कार्यवाही किया गया एवं किसके द्वारा :	• एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना तामिया एवं भारिया विकास अभिकरण में परियोजना अधिकारी पदस्थ किये जाने की अनुशंसा की जाती है। • एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना तामिया एवं भारिया विकास अभिकरण को जनजातियों के कल्याण के लिये राशि आवंटित की जावे।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

		• जोगी मुआर में नवीन हाईस्कूल प्रारंभ कराने, झिरपा शाला में चारदीवारी का निर्माण कराने, घोघरीढाना में जलाशय निर्माण कराने की अनुशंसा की जाती है। • तामिया एवं जुन्नारदेव के क्षेत्रों में रहने वाले मवासी जनजाति के व्यक्तियों के सर्वागीण विकास के लिये भारिया विकास प्रधिकरण की तरह मवासी विकास प्राधिकरण निर्मित कराए जाने की अनुशंसा की जाती है। • जनजातियों के आर्थिक स्तर को उपर उठाने, रोजगार उपलब्ध कराने के लिये उनसे तथा उनके परिवेश से संबंधित उद्योग, व्यवसाय, गतिविधियों के प्रस्ताव बनाएँ। • प्रतिवेदन के बिन्दु कमांक 5 में वर्णित । से = तक में वर्णित जिला स्तर पर निराकृत किये जाने वाली समस्याओं निर्देशों को कियान्वित करने हेतु कलेक्टर छिन्दवाडा को सूचित किया जावे। • सभी निर्माण कार्यो को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कराया जावें ताकि उनकी लागत न बढे और उसका लाभ आमजनों को मिले। • भारिया जनजाति के सभी व्यक्ति चाहे वे तामिया के बाहर ही क्यों न निवास करते हों, वे भी अति पिछड़े हैं, सभी को एक समान लाभ मिलना चाहिए। आवश्यक संशोधन की अनुशंसा की जाती है।

(सुश्री अनुसुईया उइके)

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi